भारत की कम्युनिस्ट पार्टी(माओवादी)

केन्द्रीय कमेटी

प्रेस विज्ञप्ति 26 दिसंबर, 2021

भीमा कोरेगांव अवैध केस में गिरफ्तार सभी को निशर्त रिहा करने सरकार से मांग करें!

सरकार प्रायोजित भीमा कोरेगांव षड्यंत्र केस को वापस लेवें!

भीमा कोरोगांव के ऐतिहासिक महत्व से सभी सुपरिचित हैं. भीमा कोरेगांव घटना की 200वीं वर्षगांठ के अवसर पर 1 जनवरी, 2018 को आयोजित वियजपर्व की सभा, उक्त सभा को विच्छिन्न करने के लिए भाजपा–आरएसएस द्वारा सुनियोजित साजिश पर अमल करना भी जनता के दिलो दिमाग में आज भी ताजा है. ब्राह्मणीय हिंदुत्व फासीवादियों के खिलाफ दिन–ब–दिन संगठित होते दलितों को आतंकित करने, उनके आत्मसम्मान को ध्वस्त करने हेतु भाजपा सरकार ने उसी दिन से एक बड़ी दमनकारी योजना की शुरुआत की. यह कहते हुए कि भीमा कोरेगांव में दंगे भड़काने पूणे में एल्गार परिषत् की बैठक आयोजित की गयी थी, दलित नेता, बुद्धिजीवी, जनवादी लोग उसमें शामिल हुए थे, उन्हें माओवादियों की मदद प्राप्त है, सरकार ने झूठे आरोप लगाकर गैर कानूनी गतिविधि (निरोधक) कानून–युएपीए के तहत केस बनाया. दूसरी ओर इन झूठे आरोपों के तहत कि हमारे शहीद केंद्रीय कमेटी सदस्य कॉमरेड् मिलिंद तेलतुंबडे की सूचनाओं पर कुछ बुद्धिजीवियों ने मोदी की हत्या करने की साजिश रची है और उनके पत्रों का खुलासा हो गया है, युएपीए के तहत केस बनाकर इन दोनों केसों में 16 लोगों को एनआईए ने गिरफ्तार किया था. अर्बन नक्सल कहते हुए उन्हें पिछले चार सालों से अवैध रूप से सलाखों के पीछे रखा है. झारखंड आदिवासियों के अधिकारों के लिए निरंतर संघर्ष करने वाले 84 वर्ष के फादर स्टैन स्वामी को भी इस केस में फंसाकर न सिर्फ जेल में बंद किया गया था बल्कि जेल में न्यूनतम चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध न कराते हुए उन्हें मौत के मुंह में ढकेल दिया गया था. उनकी मौत से विचलित व आक्रोशित देश, दुनिया की जनता ने यह कहते हुए कि फादर स्टैन स्वामी की मौत सरकार द्वारा की गयी हत्या ही है. आखिर विपक्षी संसदीय दलों को भी इस जघन्य घटना की निंदा करनी पड़ी. सिर्फ मोदी सरकार एवं उसके पांचवें स्तंभ बने एनआईए ने इस घटना का बेशर्मी से समर्थन किया.

83 वर्षीय वृद्ध एवं क्रांतिकारी लेखक वरवर राव के पार्किनसन एवं अन्य तंत्रकीय बीमारियों के चलते मौत से जूझते रहने के बावजूद उन्हें बेइल मंजूर नहीं किया जा रहा है. उनकी अस्वस्थता को ध्यान में रखकर बेइल मंजूर कर उन्हें हैदराबाद स्थित अपने घर भेजने की अपील को अदालतें खारिज कर रही हैं. भीमा कोरेगांव केस के विचाराधीन कैदियों को जेल में आवश्यक न्यूनतम सुविधाओं को हासिल करने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है. चूंकि स्टैन स्वामी का हाथ खाना खाने लायक नहीं था, इसलिए अपने लिए एक चम्मच पाने के लिए भी उन्हें अदालत के सामने अपील करना पड़ा. अपने रिश्तेदारों, मां–बाप के निधन पर पेरोल के लिए भी उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. इस केसा में गिरफ्तार एकमात्र सुधा भारद्वाज को अदालत ने डिफाल्ट बेइल मंजूर किया. इस केस में एनआईए ने सही समय पर अदालत में चार्जशीट दाखिल नहीं किया था. इसलिए इस केस में गिरफ्तार सभी को निशर्त बेइल मंजूर करना चाहिए था. परंतु न्याय व्यवस्था सरकारी नीतियों के अनुरूप ही चल रही है. इस व्यवस्था में एनआईए अदालतों को ही सभी अधिकार प्राप्त हैं. अवैध केसों में फंसाने वाले एनआईए इन केसों में अदालतों पर अपना अधिकार चला रहा है. स्टैन स्वामी की मौत के संदर्भ में हालांकि मुंबई उच्च न्यायालय ने खेद व्यक्त किया था, लेकिन उससे क्या फायदा होगा?

जस्टिस कृष्ण अय्यर ने अपने एक विख्यात फैसले में कहा था, 'जेल आवश्यक नहीं है, बेइल एक उसूल है'. किंतु अदालतें उक्त बात पर ध्यान नहीं दे रही हैं. बिना मजबूत कारणों के ही बेइल मंजूर न करते हुए कइयों को विचाराधीन बंदियों के तौर पर जेलों में सड़ाया जा रहा है. हमारे देश में न्याय व्यवस्था संपन्न लोगों की पक्षधर है. राज्यसत्ता के हितों को साधने वाले चार स्तंभों में वह भी एक

स्तंभ मात्र है. इसलिए न्याय व्यवस्था कभी–कभार दो–एक जनहित याचिकाओं के प्रति सकारात्मक रुख अपनाने के बावजूद अंततया वह राज्यसत्ता के हितों के प्रति कटिबद्ध रहता है. इसीलिए भीमा कोरेगांव केस में गिरफ्तार लोगों को अदालतों से न्याय नहीं मिलेगा. देश की जनता के संघर्ष के जरिए ही उनके अधिकारों को हासिल कर सकते हैं.

ब्राह्मणीय हिंदुत्व फासीवादी भाजपा–आरएसएस सरकार दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए निरंतर संघर्षरत बुद्धिजीवियों, जनवादियों, कवियों, लेखकों पर 'अर्बन नक्सल' का ठप्पा लगाकर, उन्हें अवैध केसों में फंसाकर गिरफ्तार कर रही है. उन पर एनआईए हमलें कर रही है. मोदी की हत्या की साजिश वाले झूठे केस में पहला आरोपी बनाए गए कॉमरेड् मिलिंद तेलतुंबडे की मुठभेड़ हत्या की जो योजना बनायी गयी थी, उसमें सरकारी बलों के साथ वीरोचित ढंग से लड़ते हुए हमारी पीएलजीए के 27 योद्धाओं सहित वे वीरगति को प्राप्त हुए. उनके भाई आनंद तेलतुंबडे को अवैध रूप से जेल में बंद किया गया है. भीमा कोरेगांव के अलावा देश भर में अपने अधिकारों के लिए संघर्षरत छात्राओं–छात्रों, युवाओं, कलाकारों को अवैध केसों में फंसाया जा रहा है. 90 प्रतिशत विकलांगता से जूझ रहे प्रोफेसर जीएन साईबाबा को अवैध रूप से सजा देकर जेल में बंद कर दिया गया है एवं उन्हें कम से कम बेइल भी मंजूर नहीं किया जा रहा है.

भाजपा सरकार के दमन के खिलाफ देश की जनता अपनी आवाज बुलंद कर रही है. भीमा कोरेगांव पीड़ितों सहित देश भर में और भी कइयों की मदद में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाईचारा प्रकट हो रही है. भीमा कोरेगांव केस बुनने के लिए सरकार ने जो साजिश रची, आर्सेनेल लैब ने उसका भंडाफोड़ किया. देश, दुनिया के कई प्रमुख हस्तियों ने हस्ताक्षर अभियान चलाकर सरकारी दमन की निंदा करने के साथ ही भीमा कोरेगांव झूठे केस में गिरफ्तार सभी लोगों को निशर्त रिहा करने की मांग की.

प्यारी जनता,

हमारी केंद्रीय कमेटी मजदूरों, किसानों, जनवादियों, कलाकारों, लेखकों, बुद्धिजीवियों, देशभक्तों से अपील करती है कि वे भीमा कोरेगांव फर्जी केस में गिरफ्तार एवं जेलों में बंद सभी लोगों को निशर्त रिहा करने की मांग करें. ब्राह्मणीय हिंदुत्व फासीवादियों की भीमा कोरेगांव साजिश के विरोध में आवाज उठाने, 'नयी पेश्वाई नहीं चलेगी' नारे को देश भर में बुलंद करने केंद्रीय कमेटी जनता का आह्वान करती है.

भीमा कोरेगांव झूठे केस को वापस लेवें एवं अवैध रूप से गिरफ्तार सभी लोगों को तुरंत रिहा करें.

- युएपीए कानून को रद्द करें.
- एनआईए को रद्द करें.
- अप्रासंगिक बने देशद्रोह कानून को रद्द करें.
- जनवादी अधिकारों के लिए जारी जन आंदोलन जिंदाबाद.
- नव जनवादी क्रांति जिंदाबाद.

क्रांतिकारी अभिवादन के साथ,

¼vHk;½
ioDrk]
केन्द्रीय कमेटी,

भाकपा (माओवादी)